

(3)

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462 004

क्रमांक:3/स्था/जी/2010/837
प्रति,

/भोपाल, दिनांक 28-6-10

प्राचार्य,
समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय,
शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय
समस्त स्वशासी पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने बाबत- संचालनालयीन पत्र
क्रमांक प्रशा/3/ई/97/1368, दिनांक 12.5.1997 में संशोधन ।

—00—

समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पोलिटेकनिक महाविद्यालयों, महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये अलिपिकीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिये सेवा भरती नियम 1980 के नियम-13 (1) अनुसूची चार के अनुसार आपकी संस्था के सम्मुख दर्शाई गई संस्थाओं (इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों) के प्राचार्य को आगामी आदेश तक विभागीय पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है:-

स.क्र.	संस्था का नाम जिसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है	संस्था का नाम जिसके पदेन प्राचार्य को उनके सम्मुख दर्शित संस्था के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है
	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	इंजीनियरिंग महाविद्यालय
1.	जबलपुर	रीवा
2.	रीवा	जबलपुर

42

3.	उज्जैन	भोपाल
4.	सागर	जबलपुर
5.	भोपाल	उज्जैन
	शासकीय /स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय	
1.	कलानिकेतन पोलीटेकनिक महा., जबलपुर	शासकीय महिला पोली.महा. जबलपुर
2.	स.व. पोलीटेकनिक महा. भोपाल	शासकीय महिला पोली. महा. भोपाल
3.	जावरा	उज्जैन
4.	उज्जैन	महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, इन्दौर
5.	खण्डवा	पोली. महा. हरदा
6.	नौगांव	शास. पोली. महा. टीकमगढ़
7.	शहडोल	शास. पोली. महा. सतना
8.	खिरसाडोह	शास. पोली. महा. बैतूल
9.	ग्वालियर	शास. पोली. महा. मुरैना
10.	बैतूल	शास. पोली. महा. सतना
11.	झाबुआ	पोली. महा. धार
12.	मुरैना	डॉ. अम्बेडकर पोली. महा. ग्वालियर
13.	पचौर	पोली. महा. उज्जैन
14.	मण्डला	कलानिकेतन पोलीटेकनिक, जबलपुर
15.	सतना	शास. पोली. महा. शहडोल
16.	बैतूल	शास. पोली. महा. खिरसाडोह
17.	बालाघाट	शास. पोली. महा. सवनी
18.	खुरई	पोली. महा. दमोह
19.	दमोह	शास. पोली. महा. खुरई
20.	सिवनी	शास. पोली. महा. बालाघाट
21.	अशोकनगर	शास. पोली. महा. खुरई
22.	हरदा	पोली. महा. खण्डवा
23.	सनावद	शास. पोली. महा. हरदा
24.	धार	पोली. महा. उज्जैन
25.	टीकमगढ़	पोली. महा. नौगोव
26.	जावद	शास. पोली. महा. जावरा
27.	डबरा	पोली. महा. ग्वालियर
28.	राघोगढ़	शास. पोली. महा. अशोकनगर


29	बड़वानी	शास. महिला पोली. खरगौन
	शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय	
1.	भोपाल	एस.वी. पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल
2.	सागर	शास. पोली. महा. खुरई
3.	बुरहानपुर	शास. पोली. महा. खण्डवा
4.	खरगौन	पोली. महा. धार
5.	जबलपुर	कलानिकेतन पोलीटेकनिक, जबलपुर
6.	इन्दौर	पोली. महा. उज्जैन
7.	ग्वालियर	पोली. ग्वालियर
8.	होशंगाबाद	एस.वी.पोलीटेकनिक, भोपाल
9	छिंदवाड़ा	शास. पोली. महा. खिरसाडोह
10.	पन्ना	शास. पोली. महा. टीकमगढ़
11	नरसिंहपुर	कलानिकेतन पोलीटेकनिक, जबलपुर
12	भिण्ड	शास. पोली. महा. मुरैना

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ-7-5/94/1/आ.प्र., दिनांक 24 मई 1995 की कंडिका दो के प्रावधान अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर छानबीन/पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर जिन पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया गया है, यदि उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के सदस्य के रूप में यदि कोई अधिकारी नहीं है तो ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अधिकारी को चयन समिति में मनोनीत किया जाये और उस सीमा तक चयन समिति की सदस्य संख्या बढ़ाई जाये। यह कार्यवाही संबंधित स्थापना द्वारा की जायेगी तथा उसका अनुमोदन एक स्तर ऊपर के अधिकारी से कराया जाएगा।”

सेवा भरती नियम 1980 के प्रावधानानुसार तृतीय श्रेणी अलिपिकीय संवर्ग के संस्था स्तर पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति में संचालक द्वारा प्राचार्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किये जाने के उपरांत शेष दो सदस्यों के रूप में एक प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष एवं एक कर्मशाला अधीक्षक को प्राचार्य द्वारा नाम निर्देशित किया जाना है। अतः उपरोक्त विभागीय समिति में प्राचार्य द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि नहीं करता है तो ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर से किसी अधिकारी को पदोन्नति समिति में मनोनीत करने हेतु प्राचार्य स्वयं सक्षम है।

49


“ स्वशासी संस्था के संस्था प्रमुख इस बाबत अपने शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर लें। यह व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं की पदोन्नति समिति गठित किये जाने तक ही रहेगी तथा यह व्यवस्था शासन में प्रचलित प्रावधान अनुसार ही होगी।


संचालक तकनीकी शिक्षा
26/6/10 मध्यप्रदेश

क्रमांक:3/स्था/जी/2010/838
प्रतिलिपि:-

/भोपाल, दिनांक 28-6-10 ..

उप विभाग-2, 8 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


संचालक तकनीकी शिक्षा
26/6/10 मध्यप्रदेश

शुभ
26/6/10